



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2749]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938

No. 2749]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2016

का.आ. 3518 (अ).— केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा;

और मंत्रालय को अधिसूचना के उपबंधों के कार्यन्वयन को और सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार प्राप्त सुझावों को विचारार्थ और सिफारिशों के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया गया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया गया है ;

और कुछ औद्योगिक परियोजनाओं में, उत्पादन प्रक्रिया, उपस्करों, प्राक्कलित प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों की जानकारी, जो पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित है, ब्यौरेवार डिजाइन इंजीनियरी, जिसे मुख्यतः पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् आरंभ किया जाता है, के पश्चात् परिवर्तित हो जाती है। पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से पुनः गुजरे बिना वास्तविक जानकारी या डाटा के आधार पर पर्यावरणीय अनापत्ति में पारिणामिक परिवर्तन के लिए उपबंध होना चाहिए, परंतु प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ;

और विद्यमान भूखंड के भीतर विद्यमान परियोजनाओं (जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है) के आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को उस समय पृथक पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की जाए, यदि पूर्व में अनुमोदित परिकल्पित सीमा से परे कोई अतिरिक्त प्रदूषण भार नहीं है ;

और सीमेंट उद्योग में कोयले की मांग को कम करने और सह-प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए सीमेंट भट्टों में कोयले के स्थान पर पेट कोक, जो कि पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग में एक उप-उत्पाद है, के उपयोग का संवर्धन किया जाए। सीमेंट भट्टों में ईंधन के रूप में पेट

कोक का उपयोग करने से आधिक्य SO₂ उत्सर्जन उत्पन्न नहीं होते हैं और इससे फ्लाई एश और धातुमल के उपयोग में आगे और वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। ईंधन मिश्रण में कोयले के स्थान पर पेट कोक को परिवर्तित करने में सीमेंट इकाइयों की पर्यावरणीय अनापत्ति में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं होना चाहिए, जहां केवल कोयले को ईंधन के रूप में विहित किया गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी क्षेत्र में कोई प्रसंस्करण या प्रचालन करने वाले किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्वन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 जो भारत के राजपत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का.आ.246(अ) तारीख 25 जनवरी, 2016 में प्रकाशित हुई थी में कतिपय संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप और सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 7 के उप पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा किया जाएगा, अर्थात् :-

"7(ii)(क) विद्यमान परियोजना के निवारण या आधुनिकीकरण या उसके उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति

प्रक्रिया: उपस्कर, प्राकृतिक प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों के संबंध में परिवर्तन की ईप्सा करने वाला आवेदन अपेक्षित सूचना के साथ प्ररूप 1 में किया जाएगा:

(क) क्षमता से अधिक ऐसी उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तार हेतु जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई है, या खनन परियोजनाओं की दशा में पट्टाक्षेत्र या उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तार हेतु या न्यूनतम सीमा से अधिक कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विद्यमान इकाई आधुनिकीकरण के लिए प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करके या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की ईप्सा से सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर साठ दिन के भीतर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो उस पर सम्यक् तत्परता से जिसके अंतर्गत आवश्यक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन का आंकलन किया जाएगा।

(ख) विस्तृत अभियांत्रिकी के पश्चात् परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरणीय अनापत्ति से पादप के समरूपण में कोई परिवर्तन, पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त रहेगा; यदि उत्पादन और प्रदूषण भार में कोई परिवर्तन नहीं है। परियोजना समर्थक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचित करेगा।

(ग) उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन; उत्पाद में मात्रा परिवर्तन या कुछ समान प्रवर्ग के उत्पाद जिनके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदत्त की जा चुकी है पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त रहेगी बशर्ते कि इस अधिसूचना के अधीन पहले प्रदत्त पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति में कुल मंजूर क्षमता में कोई परिवर्तन न हो और प्रदूषण भार में कोई वृद्धि न हो। परियोजना समर्थक प्रदूषण भार में अनावृद्धि प्रमाणपत्र उपाबंध-14 में दिए गए उपबंधों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा।";

(II) अनुसूची में,-

(क) सीमेंट पादप में संबंधित मद 3(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3(ख)	सीमेंट पलांट	≥ 1.0 मि.टन/वार्षिक उत्पादन क्षमता	≤ 1.0 मि.टन/वार्षिक उत्पादन क्षमता/सभी स्टैंड अलोन ग्राईडिंग ईकाई	सामान्य दशाएं लागू होंगी: टिप्पण: 1. सीमेंट उद्योग के लिए ईंधन कोयला पेट कोक, कोयला मिश्रण और कूड सहप्रसंस्करण बशर्ते यह उत्सर्जन मानकों को पूरा करने है।

				2. साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज्जालाना सीमेंट और स्लेग सीमेंट के विनिर्माण के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति रखने वाले पादपों द्वारा कंपोसिट सीमेंट का विनिर्माण छूट प्राप्त रहेगा बशर्ते मंजूरीकृत क्षमता में उत्पादन हो।";
--	--	--	--	---

(ख) मद 5(क) रसायनिक खाद संबंधित मद 5(क) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5(क)	रसायन खाद	सभी परियोजनाओं सहित जिसमें सभी एकल सुपर फास्फेट H ₂ SO ₄ उत्पादन सम्मिलित है।	सभी एकल सुपर फास्फेट H ₂ SO ₄ उत्पादन और रसायन खाद का कणिकायन	सामान्य दशाएं लागू होंगी: टिप्पण: 1. एकल सुपर फास्फेट चूर्ण का कणिकायन छूट प्राप्त है। 2. खाद का नीम विलेपन छूट प्राप्त है बशर्ते कि कुल उत्पादन ईसी घन विलेपित प्रयुक्त सामग्री के भार में मंजूरीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी। 3. खाद का पुष्ठीकरण छूट प्राप्त रहेगा बशर्ते कि कुल उत्पादन ईसी घन पुष्ठीकृत प्रयुक्त सामग्री के भार से मंजूरीकृत क्षमता से अधिक न होगी।"

[फा. सं जे-11013/12/2013-ए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007; का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ; का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ; का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ; का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ; का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ; का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ; का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ; का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014; का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014; का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014 ; का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ; का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ; का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ; का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 और का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016, का.आ.190(अ) तारीख 20 जनवरी, 2016, का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 और का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

उपाबंध-XIV

"प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि" प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र/अनुमति ।

परियोजना की पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना में तत्काल संशोधन मात्रा और प्रदूषण प्रभाव में उत्पाद मिश्रण के मामलों में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यक छूट में बदलाव किया गया । यह सुविधा उन इकाइयों को दी गई है जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के अंतर्गत आते हैं । इस तरह की इकाइयों को चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने आखिरी सहमति प्रमाण पत्र के साथ लागू नहीं होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऐसे सभी मामलों की जांच और ढंग पर निम्नलिखित रूप में निर्णय लिया जाएगा:

1. इस तरह के प्रयोजन के लिए प्राप्त आवेदन की क्षेत्रीय अधिकारी / यूनिट हेड स्तर पर ऑनलाइन छानबीन की जाएगी और आवेदक एक प्रारूप (उपाबंध 'क') इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
2. इस उद्देश्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तकनीकी समिति की जांच जाएगी और 4 बाहरी विशेषज्ञों शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण के प्रमुख सचिव द्वारा प्राप्त नाम नामांकित किए जाएंगे।
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किया गया कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण लेखा परीक्षकों और प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
4. पर्यावरणीय लेखा परीक्षक के साथ आवेदक तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति करेगा। तकनीकी समिति की बैठक एक महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट की जांच की गई कि तकनीकी समिति के विवरण आवेदक और पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों के रूप में अच्छी तरह से जांच होंगे ।
5. तकनीकी समिति विचार-विमर्श के आधार पर अपनी सिफारिशों की जांच करेगा।
6. तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के उद्देश्य के लिए संचालित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त आवेदन के संबंध में बदलाव के लिए निर्णय लिया जाएगा।
7. आवेदक को एसएमएस / ई-मेल और ऑनलाइन सहमति / अस्वीकृति आदेश के द्वारा बोर्ड के माध्यम से लिया गया निर्णय अवगत कराया जाएगा।

***राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुजरात की प्रक्रिया और कार्यपद्धति के आधार पर।**

उत्पाद मिश्रण में बदलाव के प्रदान कर सूचना के लिए प्रारूप

विषय	
इकाई का नाम एवं पता	
उद्योग के सेक्टर	

- 1.0 मात्रा के साथ उत्पादों की सूची :
(प्रत्येक उत्पाद का पूरा नाम दिखाया जाना चाहिए)
- 2.0 मात्रा के साथ कच्चे सामग्रियों की सूची (क):
- 3.0 रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया:
- 4.0 प्रत्येक उत्पाद के लिए बड़े पैमाने पर संतुलन:
- 5.0 जल पहलू:
- 5.1 कच्चे जल के स्रोत:
- 5.2 जल खपत विवरण (के एल/दिन) :

प्रस्ताव	मौजूदा पानी की खपत	पानी की खपत उत्पाद मिश्रण में बदलाव के बाद दरार	प्रस्तावित अतिरिक्त पानी की खपत
औद्योगिक			
प्रक्रिया + ए पी सी एम			
बायलर			
शीतलन			
धुलाई			
बागवानी			
अन्य			
कुल औद्योगिक			
घरेलू			

- 5.3 पानी के संतुलन का आरेख (पुनः उपयोग/पुनरावृत्ति करने के साथ में से कोई):

6.0 प्रवाह पीढ़ी (के एल/दिन):

प्रस्ताव	मौजूदा प्रवाह पीढ़ी	उत्पाद मिश्रण में प्रस्तावित बदलाव के बाद प्रवाह पीढ़ी	निपटान और अंतिम प्राप्त निकाय की विधि
औद्योगिक			
प्रक्रिया + ए पी सी एम			
बायलर			
शीतलन			
धुलाई			
अन्य			
कुल औद्योगिक			
घरेलू			

- 6.1 केंद्रित धारा और उसके निपटान के पृथक्करण:
- 6.2 न्यूनन / पुनरावृत्ति / प्रवाह के पुनः उपयोग का विवरण:
- 6.3 प्रवाह उपचार की प्रदान सुविधाएं:
- 6.4 ईटीपी के उन्नयन के लिए प्रस्ताव (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):
- 6.5 सीईटीपी की सदस्यता (इनमें से कोई):
- 6.6 सामान्य प्रवाह वाहन / निपटान की सुविधा की सदस्यता (इनमें से कोई):
- 6.7 तकनीकी औचित्य और व्यावहारिकता के साथ शून्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव:
- 7.0 ईंधन गैस उत्सर्जन:

क्र. सं.	ढेर से जुड़ी	ईंधन	मौजूदा ईंधन की खपत	प्रस्तावित ईंधन की खपत	ढेर की ऊंचाई

- 7.1 स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

7.2 मौजूदा ए पी सी एम के उन्नयन के लिए प्रस्ताव (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

7.3 नई ए पी सी एम की स्थापना के लिए (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

8.0 प्रक्रिया उत्सर्जन:

ढेर सं०	ढेर से जुड़ी	ढेर की ऊंचाई मीटर में	ए पी सी एम	पैरामीटर	अनुमेय सीमा

8.1 मौजूदा ए पी सी एम के उन्नयन के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

8.2 नई ए पी सी एम की स्थापना के लिए (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

9.0 खतरनाक अपशिष्ट पीढ़ी:

क्रम सं०	अपशिष्ट के प्रकार	वर्ग (निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार)	प्रति वर्ष पीढ़ी (कोई परिवर्तन नहीं)		पीढ़ी के स्रोत	भंडारण की विधि	उपचार एवं निपटान की विधि
			मौजूदा	उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के बाद			

9.1 कमी / वसूली / पुनः प्रयोग / पुनरावृत्ति / अपशिष्ट की बिक्री के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई:

9.2 द्रावक के कुशल वसूली के लिए प्रस्ताव (तकनीकी जानकारी के साथ):

9.3 सामान्य सुरक्षित लैंडफिल स्थल की सदस्यता (इनमें से कोई):

9.4 सामान्य खतरनाक अपशिष्ट जलाए जाने की सुविधा की सदस्यता (इनमें से कोई):

10.0 अनुपालन के विवरण:

10.1 पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन और इसकी वैधता की स्थिति

10.2 सहमति और इसकी वैधता की स्थिति:

10.3 पिछले 2 वर्षों के दौरान दिशा-निर्देश/बंद जीपीसीबी द्वारा जारी आदेशों की सूचना:

	जल अधिनियम के तहत	वायु अधिनियम के तहत	ई.पी.अधिनियम के तहत
दिशा-निर्देशों की सूचना			
बंद के आदेश			

10.4 पिछले लेखा परीक्षा अवधि के लिए पर्यावरण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति (यदि लागू हो):

10.5 पर्यावरणीय लेखा परीक्षक से ईएमएस पर्याप्तता प्रमाण पत्र :

- 10.6 "प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि" पर्यावरणीय लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र:
- 11.0 **अतिरिक्त जानकारी के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण:**
- 11.1 उत्पाद वर्ग अलग शीट, वायु प्रदूषण में मौजूदा और प्रस्तावित परिवर्तन दिखा (जैसे कि.ग्रा./घंटे या, किग्रा./दिन), जल प्रदूषण (जैसे कि.ग्रा./दिन) और खतरनाक अपशिष्ट पीढ़ी (कि.ग्रा./महीना या, मीट्रिक टन/महीना) संबंधित प्रस्तावित नियंत्रण उपायों का सुझाव दिया है, के साथ सारणीबद्ध रूप में दिखाया जाना चाहिए। प्रदूषण भार में कुल परिवर्तन(जल, वायु, खतरनाक अपशिष्ट) के साथ विवरण।
- 11.2 उत्तर दिशा के साथ मौजूदा और प्रस्तावित संयंत्र मशीनरी के लिए अलग-अलग रंग के नक्शों की योजना प्रदान की जानी चाहिए।
- 11.3 सभी कच्चे माल और उत्पादों की एम एस डी सी का विवरण दिखाया जाना चाहिए ।
- 11.4 वैध सहमति की प्रति चाहिए।
- 11.5 तुलनात्मक विवरण संबंधित प्रदूषण की निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के साथ डब्ल्यू/डब्ल्यू की एआर और डेर नमूनों को दिखाया जाना चाहिए ।
- (क) मात्रा के साथ कच्चे माल उत्पाद वर्ग की सूची सारणीबद्ध रूप में होनी चाहिए।
- (ख) प्रत्येक चरण में रसायन प्रतिक्रियाओं प्रक्रिया को दिया जाना चाहिए।
- (ग) प्रत्येक अभिकारक के लिए संतुलन दिया जाता है।
- (घ) उत्पाद वर्ग खपत और अपशिष्ट जल पीढ़ी का ब्यौरा(मौजूदा और प्रस्तावित) अलग शीट सारणी के रूप में दिखाया जाना चाहिए।
- 11.6 मशीनरी और संयंत्र नक्शों में कोई बदलाव के लिए उपक्रम ।
- 11.7 खतरनाक रसायनों के भंडारण की सुविधा।
- 11.8 उत्पाद वर्ग प्रवाह मात्रा और उनके भार।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2016

S.O.3518(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and/ or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the Ministry has received suggestions for further streamlining of the implementation of provisions of the Notification and the suggestions so received were referred to the Expert Committee for consideration and recommendations. Based on their recommendations the provisions of the said Notification have been reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

And whereas in some industrial projects, information of production process, equipments, estimated pollution load and planned mitigation measures, which are mentioned in environmental clearance, change after detailed design engineering which is mostly undertaken after environmental clearance is granted. The Environmental Impact Assessment Notification, 2006 shall provide for resultant change in environmental clearance based on factual information or data without having to go through entire environmental clearance process again, provided the proposed change does not result in any adverse impact on environment;

And whereas, the modernisation or change in product mix of existing projects (having environmental clearance) within existing plot may be exempted from separate environmental clearance if there is no additional pollution load beyond the earlier approved limit envisaged;

And whereas, the use of pet coke, a by-product of petroleum refinery industry in place of coal, in cement kilns may be promoted to reduce coal demand of the cement industry. The Government of India also encourages co-processing. The use of pet coke as fuel in cements kilns does not produce excess SO₂ emissions and also helps in further increasing the usage of fly ash and slag. A change in fuel mix from coal to pet coke may not require an amendment in environmental clearance of cement units where only coal has been prescribed as fuel;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 was published in the Gazette of India, vide notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.246(E) dated the 25th January, 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the Environment Impact Assessment Notification, 2006,-

(I) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

(a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernisation of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

(b) Any change in configuration of the plant from the environmental clearance conditions during execution of the project after detailed engineering shall be exempt from the requirement of environmental clearance, if there is no change in production and pollution load. The project proponent shall inform the Ministry of Environment, Forest and Climate Change / State Level Environment Impact Assessment Authority and the concerned State Pollution Control Board.

(c) Any change in product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which environmental clearance has been granted shall be exempt from the requirement of prior environmental clearance provided that there is no change in the total capacity sanctioned in prior environmental clearance granted earlier under this notification and there is no increase in pollution load. The project proponent shall follow the procedure for obtaining **No Increase in Pollution Load** certificate from the concerned State Pollution Control Board as per the provisions given in Appendix –XIV.”;

(II) in the Schedule,-

(a) against item 3(b) relating to Cement Plants and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3 (b)	Cement Plants	≥ 1.0 million tonnes / annum production capacity	< 1.0 million tonnes / annum production capacity. All stand alone grinding units	General Conditions shall apply Note: 1. Fuel for cement industry may

				<p>be coal, petcoke, mixture of coal and petcoke and co-processing of waste provided it meets the emission standards.</p> <p>2. The manufacturing of composite cement by plants having environmental clearance for manufacturing Ordinary Portland Cement(OPC), Portland Pozzolana Cement(PPC) and Portland Slag Cement(PSC) shall be exempt provided the production is within sanctioned capacity.”;</p>
--	--	--	--	---

(b) against item 5(a) relating to Chemical Fertilizers and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“5(a)	Chemical fertilizers	All projects including all Single Super Phosphate with H ₂ SO ₄ production except granulation of chemical fertilizers.	All Single Super Phosphate without H ₂ SO ₄ production and granulation of chemical fertilizers.	<p>General condition shall apply.</p> <p>Note:</p> <p>1. Granulation of single super phosphate powder is exempt.</p> <p>2. Neem coating of fertilizers is exempt provided that the total production does not exceed the sanctioned capacity in EC plus the weight of the coating material used.</p> <p>3. Fortification of fertilizers is exempt provided that the total production does not exceed the sanctioned capacity in EC plus the weight of the fortification material used.”.</p>

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II(I)(part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O.695(E), dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O.674(E), dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O.637(E), dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015 and S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015, S.O. 141(E) dated 15th January, 2016, S.O. 190(E) dated 20th January, 2016, S.O. 648(E) dated 3rd March, 2016 and S.O. 2269(E) dated 1st July, 2016.

Appendix –XIII**Process for obtaining “No Increase in Pollution Load” certificate / permission from the State Pollution Control Board*.**

The instant amendment in EIA notification exempts the requirement of prior environmental clearance for cases of change in product mix without change in quantity and pollution load as prescribed in the environmental clearance of the project. This facility is available to those units which have obtained prior environmental clearance under EIA Notification, 1994 and EIA Notification, 2006. Such units shall apply to the State Pollution Control Board along with their last Consent to Operate certificate. All such cases shall be examined and decided in following manner at the State Pollution Control Board:

1. The application received for such purpose shall be scrutinized online at the Regional Officer/Unit Head level and the applicant shall be asked to submit specific information in a format (Annexure – ‘A’) specified for this purpose.
2. The information so received shall be examined by the Technical Committee constituted for this purpose comprising of officers from State Pollution Control Boards, Central Pollution Control Board and 4 external experts drawn from the academic / research institutes to be nominated by Principal Secretary Environment of the State Government / Union Territory.
3. The project proponent is required to obtain a certificate of no increase in the pollution load from the Environmental Auditors and reputed institutions to be empanelled by the State Pollution Control Board / Central Pollution Control Board / Ministry.
4. The applicant along with environmental auditors shall make presentation before the Technical Committee. The meetings of the Technical Committee shall be held at least once in a month. The Technical Committee shall examine the details received from the applicant and the environmental auditors as well as the report of the scrutiny done by the officers of the State Pollution Control Board.
5. Based on the deliberations and the scrutiny the Technical Committee will make its recommendations.
6. Based on the recommendations of the Technical Committee the State Pollution Control Board shall take decision with respect to the application received from the project proponent for change in the consent to operate for the purpose of change in the product mix.
7. The decision taken by the Board shall be conveyed through sms/e-mail and online Consent/Rejection Order to the applicant.

***Based on process and procedure of State Pollution Control Board, Gujarat.**

Format for providing information on Change In Product Mix

Subject	
Name & Address of the unit	
Sector of Industry	

1.0 LIST OF PRODUCTS WITH QUANTITY:

(Full name of each product must be shown)

2.0 LIST OF RAW MATERIALS WITH QUANTITY^{(A)*}:**3.0 MANUFACTURING PROCESS OF EACH PRODUCT WITH CHEMICAL REACTIONS:****4.0 MASS BALANCE FOR EACH PRODUCT:****5.0 WATER ASPECTS:**

5.1 Sources of Raw water:

5.2 Water Consumption Details (KL/Day) :

Propose	Existing Water Consumption	Water Consumption Break up after change in product mix	Proposed Additional Water Consumption
INDUSTRIAL			
Process + APCM			
Boiler			
Cooling			
Washing			
Gardening			
Other			
Total Industrial			
DOMESTIC			

5.3 Water Balance Diagram (with reuse/recycle if any):

6.0 EFFLUENT GENERATION (KL/day) :

Propose	Existing Effluent Generation	Effluent Generation after proposed change in product mix	Mode of Disposal & Ultimate Receiving Body
INDUSTRIAL			
Process + APCM			
Boiler			
Cooling			
Washing			
Other			
Total Industrial			
DOMESTIC			

6.1 Segregation of Concentrated stream and its disposal:

6.2 Details of Reduction / Recycle / Reuse of effluent:

6.3 Effluent Treatment Facilities Provided:

6.4 Proposal for up-gradation of ETP (with time bound program):

6.5 Membership of CETP (if any):

6.6 Membership of Common Effluent Conveyance / Disposal Facility (if any):

6.7 Proposal to achieve zero discharge with technical justification and feasibility:

7.0 FLUE GAS EMISSION:

Sr. No.	Stack attached to	Fuel	Existing Fuel Consumption	Proposed Fuel Consumption	Stack Height

7.1 Proposal for switching over to cleaner fuel, if any (with time bound program):

7.2 Proposal for up-gradation of existing APCM (with time bound program):

7.3 Proposal for installation of new APCM (with time bound program):

8.0 PROCESS EMISSION:

Stack No.	Stack attached to	Stack height in Meter	APCM	Parameter	Permissible Limit

8.1 Proposal for up-gradation of existing APCM, if any (with time bound program):

8.2 Proposal for installation of new APCM (with time bound program):

9.0 HAZARDOUS WASTE GENERATION:

Sr. No.	Type of Waste	Category (As per Schedule)	Generation per Year (No Change)		Source of Generation	Mode of Storage	Mode of Treatment & Disposal
			Existing	After Change in Product Mix			

9.1 Proposal for reduction / recovery / reuse / recycle / sale of waste, if any:

9.2 Proposal for efficient recovery of solvents (with technical details):

9.3 Membership of Common Secured Landfill Site (if any):

9.4 Membership of Common hazardous waste incineration facility (if any):

10.0 DETAILS OF COMPLIANCE:

10.1 Status of environment clearance conditions compliance and its validity

10.2 Status of Consent and its Validity:

10.3 Notice of Directions / Closure Orders issued by the GPCB during last 2 years:

	Under the Water Act	Under the Air Act	Under the E.P. Act
Notice of Directions			
Closure Orders			

10.4 Status of submission of Environment Audit report for previous audit period (if applicable):

10.5 EMS adequacy certificate from environmental auditor:

10.6 "No Increase in Pollution Load" certificates from environmental auditor:

11.0 ADDITIONAL INFORMATION IMPORTANT FOR APPRAISAL OF THE PROPOSAL:

11.1 Product wise Separate Sheet, showing the existing and proposed change in Air pollutants (e.g. Kg./Hr. or, Kg/day), Water pollutants (e.g. Kg/day) and Hazardous Waste generation (Kg./Month or, MT/Month) along with respective proposed control measures suggested, must be shown in tabular form. Along with the details of total change in pollution load (Water, Air, Haz. Waste).

11.2 Separate colored Layout plans for existing and proposed plant machineries along with north direction must be provided.

11.3 Details of MSDC of all the Raw Materials & Products must be shown.

11.4 Copy of valid consents must be produced.

11.5 Comparative statement showing ARs of w/w & stacks samplings must be shown with prescribed permissible limits of respective pollutants.

(A) List of raw materials with quantities must be product wise, in tabular form.

(B) Chemicals reactions giving each step of the process must be given.

(C) Mass balance for each reactant has to be given.

(D) Separate sheet showing the details of product wise consumption and waste water generation (from existing & Proposed) must be shown in tabular form.

11.6 Undertaking for no change in machinery and plant layout.

11.7 Hazardous chemicals storage facility.

11.8 Product wise effluent quantity & their load.